

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 6/वि01-1064/13-
सेवा में,

पटना, दिनांक:-

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के फ्लोराईड प्रभावित 11 जिलों के 200 बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 9185.00 लाख (एकानबे करोड़ पचासी लाख रुपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के फ्लोराईड प्रभावित 11 जिलों के 200 बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 9185.00 लाख (एकानबे करोड़ पचासी लाख रुपये) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरण परिशिष्ट- I पर संलग्न है।

2. भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अन्तर्गत जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में ली जाने वाली योजना की लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तदनुसार प्रस्तावित योजना में रू0 4592.50 लाख केन्द्रांश मद की राशि भारत सरकार एवं शेष रू0 4592.50 लाख राज्यांश मद की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

इस योजना के परिचालन एवं रख-रखाव (Operation & Maintenance) हेतु राशि का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिचालन एवं रख-रखाव (O&M) हेतु कर्णांकित (15 प्रतिशत) राशि से किया जाना है। प्रस्तावित योजना में पाँच वर्ष का परिचालन एवं रख-रखाव का प्रावधान है।

3. परिशिष्ट- I में जिलावार अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि (50%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को विमुक्त राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराकर योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

4. इस योजना पर होनेवाले केन्द्रांश मद (50%) का व्यय होने वाली राशि भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से विमुक्ति के पश्चात् योजना बजट शीर्ष 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-102- ग्रामीण जल पूर्ति-उप शीर्ष -0230- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड-P4215011020230-विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य से निकासी की जाएगी तथा राज्यांश (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-102- ग्रामीण जल पूर्ति-उप शीर्ष -0330- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड-P4215011020330-विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य; 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उप शीर्ष -0312- राष्ट्रीय

4

वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत फ्लोराईड प्रभावित 11 जिलों के 200 बसावटों में सौर ऊर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण की योजना ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित योजनाओं की संख्या (अदद में)	वित्तीय लक्ष्य @ ₹0 45.925 लाख प्रति यूनिट (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1	नालन्दा	बिहार शरीफ	13	597.025
		हिलसा	4	183.700
2	रोहतास	सासाराम	5	229.625
3	कैमूर	भभुआ	2	91.850
4	औरंगाबाद	औरंगाबाद	2	91.850
5	गया	गया	8	367.400
6	नवादा	नवादा	3	137.775
7	भागलपुर	भागलपुर पश्चिम	17	780.725
8	बांका	बांका	72	3306.600
9	मुंगेर	मुंगेर	18	826.650
10	शेखपुरा	शेखपुरा	22	1010.350
11	जमुई	जमुई	34	1561.450
कुल			200	9185.000

(एकानबे करोड पचासी लाख रुपये मात्र)

श्रीवास्तव
21/11/13
(ए० के० श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता (नागरिक)